भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2999

(दिनांक 19.03.2025 को उत्तर के लिए)

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन

2999. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

प्रो. सौगत राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को समाप्त करने के लिए कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2014 से समाप्त किये गये पदों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ/संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन किए जाने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) एवं (ख): सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न हुई रिक्तियों को समाप्त करने हेतु सरकार की कोई नीति नहीं है।

(ग) एवं (घ): सरकार में केन्द्रीय स्तर पर ऐसा कोई डेटा नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह विषय-वस्तु राज्य सूची में आती है।

(ङ): राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****